प्रेस नोट दिनाँक-06.03.2023

(1). दिनाँक-10.02.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला एवं जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद द्वारा जिला कारागार चित्रकूट की आकस्मिक चेकिंग की गयी थी, जिसमें कारागार में निरूद्ध अपराधी अब्बास अंसारी एवं उसकी पत्नी निखत बानो तथा उनके सहयोगियों द्वारा कारागार के अन्दर कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारीगणों के सहयोग से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 88/2023 धारा 387,222,186,506,201,120(बी), 195(ए),34 आईपीसी, 42बी,54 प्रिजनर्स एक्ट व 07 सीएलए एक्ट, 7/8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत कर निखत बानो पत्नी अब्बास अंसारी एवं उसके सहयोगी ड्राइवर नियाज, फराज खान, नवनीत सचान, डिप्टी जेलर अभियुक्ता चंद्रकला सहित कुल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

उपरोक्त मुकदमें की विवेचना के क्रम में आज दिनांक 06.03.2023 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चकरेही चौराहा कर्वी से मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार सागर (जेल अधीक्षक) पुत्र भिरवारी सिंह निवासी मानपुर थाना खानपुर जनपद बुलंदशहर 2. संतोष कुमार(जेलर) पुत्र स्व0 रामलखन निवासी बिहरदर थाना चन्दवक जिला जौनपुर 3. जगमोहन सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी नगलादेह थाना माँट जनपद मथुरा को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त अशोक कुमार सागर की जामातलाशी से 01 अदद ओप्पो मोबइल फोन हरा रंग, तथा अभियुक्त संतोष कुमार की जामातलाशी से 01 अदद सैमसंग मोबाइल फोन नीला रंग बरामद किया गया।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार सागर उपरोक्त की निशादेही पर उसके जिला कारागार चित्रकूट स्थित आवासित परिसर के बाथरूम में लगे कमोड के फ्लश में ऊपर ढ़क्कन से चिपका कर रखा गया 04 लाख रूपया बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त अशोक कुमार सागर ने बताया कि यह वही पैसे हैं जो 07.02.2023 को जेल में बंद अब्बास अंसारी को सुविधायें प्रदान करने हेतु मुझे मिले थे तत्पश्चात अभियुक्त जेलर संतोष कुमार की निशादेही पर जिला कारागार स्थित गेस्ट हाउस के सामने बने टाइप-III आवास में बने किचन में बने रैक के अन्दर रखें डिब्बों के पीछे से 01 लाख 80 हजार रूपये बरामद हुए जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त ने बताया कि मुझे अब्बास अंसारी को सुविधायें देने के एवज में दिनाँक-07.02.2023 को कुल 06 लाख रूपये मिले थे जिसमें मुझे 02 लाख रूपये हिस्सा में मिला था जिससे 20 हजार रूपये मुझसे खर्च हो गया है। अभियुक्त संतोष की KIA CARENS रजि0नं0 UP62 CP 0921 को भी सीज किया गया है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि उक्त वाहन की EMI अभियुक्त अब्बास अंसारी एवं निखत बानो की सहायता से चुकायी गयी।

बरामदगीः-

1. 5,80,000/- रुपये कैश

2. KIA CARENS रजि0 नं0 यूपी0 62 सीपी 0921

3. 02 अदद मोबइल फोन

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरणः-

1. अशोक कुमार सागर (जेल अधीक्षक) पुत्र भिरवारी सिंह निवासी मानपुर थाना खानपुर जनपद बुलंदशहर

2. संतोष कुमार(जेलर) पुत्र स्व0 रामलखन निवासी बिहरदर थाना चन्दवक जिला जौनपुर

3. जगमोहन सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी नगलादेह थाना माँट जनपद मथुरा

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक एम0पी0 त्रिपाठी अपराध शाखा
2. निरीक्षक श्री शिवमूरत सिंह यादव अपराध शाखा
3. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
4. उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह
5. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह
6. आरक्षी रोहित सिंह
7. आरक्षी पीयूष शरण श्रीवास्तव
8. आरक्षी दीपांकर सिंह

(2). आज दिनाँक-06.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक-06.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री अनिल कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दृगपाल सिंह तथा उनकी टीम द्वारा एफ0आर0 सं0- 05/22 मु0अ0सं0 44/21 धारा- 323/427/504/506 भादवि0 व 3(1) द,घ एसटी/एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त शिवपाल हरिजन उम्र 70 वर्ष पुत्र कल्लू नि0 छेरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूटको गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री दृगपाल सिंह थाना मारकुण्डी
2. आरक्षी सचिन यादव

(5). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवँ बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 11 अभियुक्तों के कब्जे से 98 लीटर कच्ची व 78 क्वार्टर देशी शराब, 01 अदद भट्टी एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री शौकत खां चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा अभियुक्त राजाराम पुत्र शंकर निवासी भभई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 28 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त तिलकधारी पुत्र रामआसरे वर्मा निवासी कुरियाडीह थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जीतेन्द्र पुत्र रामविशाल निवासी डीह का पुरवा मजरा हरदीकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 15 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री राजकुमार थाना बरगढ़ तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा अभियुक्त निराशा दीपांकर उर्फ निराशा पत्नी राजू निवासी गजाधर का पुरवा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 13 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभिययुक्ता के विरूद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनिय के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. बिलपतिया पत्नी छोटवा 2. सुन्ता पत्नी सोन्ना निवासीगण खोपा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 20-20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ताओं के विरूद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी राममूरत मिश्रा टीम अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र छोटेलाल गुप्ता निवासी देवकली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(vii). उ0नि0 श्री काशीनाथ यादव थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त इन्द्र कुमार पुत्र हुबलाल निवासी कुसियापुरवा मजरा पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(viii). उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मोनू पासी पुत्र बहबल अदालती निवासी बम्बुरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ix). उ0नि0 श्री विजय बहादुर यादव थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियक्त रामसिंह पुत्र रामलोचन निवासी नीबीं थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 15 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(x). उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गोकुल प्रसाद हरिजन पुत्र भैरव प्रसाद निवासी नीबीं थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). आज दिनाँक-06.03.2023 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा थाना सरधुवा एवं थाना बहिलपुरवा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा थाना कार्यालय में रजिस्टरों का अवलोकन कर अद्यावधिक करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए एवं महिला हेल्प डेस्क में आगन्तुक रजिस्टर का अवलोकन कर डियूटी में नियुक्त महिला आरक्षी को आवश्यक निर्देश दिए। महोदय द्वारा थाना कार्यालय, बैरिक, भोजनालय एवं परिसर का निरीक्षण कर साफ सफाई बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

(7). आज दिनाँक-6.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में , डॉग स्क्वायड एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा होली त्यौहार व शब-ए-बरात के दृष्टिगत ,बस स्टेशन , बाजार,मॉल आदि स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं की चेकिंग की गयी।

(8). आज दिनाँक-6.03.2023 को होली त्यौहार एवं शव-ए-बरात के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एसपी सोनकर एवं प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा

तथा थाना राजापुर पुलिस बल द्वारा कस्बा राजापुर में पैदल गस्त किया गया। गस्त के दौरान व्यापरीबन्धुओं, दुकानदारों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(9). आज दिनांक 06.03.2023 को होली त्यौहार एवं शव-ए-बरात को दृष्टिगत रखते हुए चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा पीएसी बल एवं चौकी सीतापुर की फोर्स के साथ कस्बा सीतापुर के मोहल्ला चौगलिया ,रत्नावली मार्ग,रामघाट, रामायण मेला के सामने पैदल गस्त किया गया। पैदल गस्त के दौरान व्यापारी बंधुओं दुकानदारों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।